# न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुडोपा)

<u>दां0प्रक0क0-222/09</u> संस्थित दि0 19/07/06

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द्र, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

## -: विरूद्ध :-

- दिनेश पिता मैकू सिरशाम, उम्र 32 वर्ष, जाति गोंड, पेशा खेती, नि० बोड़खी नाका के पास, आमला, तह० आमला, जिला बैतूल (म०प्र०),
- मैकू पिता गम्भीरसिंह, उम्र 62 वर्ष, जाति गोंड, पेशा खेती, नि0 मोरडोंगरी, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)।

<u>----अभियुक्तगण.</u>

# <u>—: निर्णय :—</u> (आज दिनांक—27 / 07 / 2016 को घोषित)

- 1— अभियुक्त दिनेश के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 279, 338 एवं मो०व्ही०ए० की धारा 3/181, व 146/196 तथा आरोपी मैकू के विरुद्ध मो०व्ही०ए० की धारा 5/180, 146/196 के तहत् अभियोग है कि दिनांक 11/04/09 को शाम 07:00 बजे ग्राम ढानी के पास मेन रोड बोड़खी बैतूल में वाहन कमांक एम.पी. 48 बी 8297 को उतावलेपन/उपेक्षापूर्वक ढंग से परिचालित करते हुये फरियादी/पीढित दिनेश को टक्कर मारते हुये घोर उपहित कारित की एवं उक्त वाहन को बिना वैध डायविंग लायसेंस व बिना वैध बिमा के परिचालित किया तथा उक्त वाहन को ऐसे व्यक्ति को परिचालित करने के लिये दिया जिसके पास वैध डायविंग लायसेंस व बीमा नहीं था।
- 2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम कन्हड़गांव रहता है। मजदूरी का काम करता है। दिनांक 11/04/09 दिन शनिवार को वह मोरडोंगरी से मजदूरी करके उसके घर पैदल रोड़ से जा रहा था, समय 7 बजे की शाम की बात है बोड़खी से हीरो होन्डा मोटर साईकिल का चालक दिनेश तेज रफ्तार व लापरवाही से मोटर साईकिल चलाकर लाया और उसके टक्कर मार दिया, जिससे उसके दांये पैर में घुटने के नीचे चोट पिंडली में लगी है उसने मोटर साईकिल का नम्बर देखा तो एम.पी.48 ब 8297 था इतने में दीपक वर्मा आये तो उसने

उनको घटना बताई दीपक वर्मा के साथ बन्टी ने भी देखा है दिनेश गोंड बो़ड़खी वाले ने इलाज करने की कहा था जो इलाज नहीं करा रहा है तो वह थाना रिपोर्ट करने दीपक वर्मा के साथ आया हूँ। रिपोर्ट करता हूँ। कार्यवाही की जावे।

3— फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी० 1 तैयार किया है। जिसके आधार पर अपराध कमांक 290/09 के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि० की धारा 279, 337, 338 एवं मो०व्ही०ए० की धारा 3/181, 146/196, 5/180 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 11/07/09 को घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया, दिनांक 22/07/09 को सम्पति जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी०—6 बनाया गया है। आहत का मेडिकल परीक्षण किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफतारी पंचनामा प्र0पी० 7 बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। 4— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहां कि वे निर्दोष है, उन्हें झूटा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

#### 5— न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

- 1— ''आपने दिनांक 11/04/09 को शाम 07:00 बजे ग्राम ढानी के पास मेन रोड बोड़खी बैतूल में वाहन क्रमांक एम.पी. 48 बी 8297 को उतावलेपन/उपेक्षापूर्वक ढंग से परिचालित करते हुये फरियादी/पीड़ित दिनेश को टक्कर मारते हुये घोर उपहति कारित की?
- 2— आपने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध डायविंग लायसेंस व बिना वैध बीमा के परिचालित किया?''
- 3— उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने उक्त वाहन को ऐसे व्यक्ति को परिचालित करने के लिये दिया जिसके पास वैध ड्रायविंग लायसेंस नहीं था?"
- 4— उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने उक्त वाहन को ऐसे व्यक्ति को परिचालित करने के लिये दिया जिसके पास बीमा नहीं था?"

## —ः <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>ः— विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण

6— अभियोजन साक्षी डॉ० एन०के० रोहित (अ०सा०—4) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह दिनांक 11/07/09 को सी०एच०सी० आमला में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनांक को उसने दिनेश पिता गरिबा, उम्र 21 साल, जाति गोंड, नि० कन्हडगांव का परीक्षण किया था। जिसे थाना आमला के सैनिक व्यंकटराव नं० 91 द्वारा अस्पताल लाया गया था। आहत को दांहिने पैर पर प्लास्टर लगा हुआ था। परीक्षण के उपरांत उसने उसे जिला चिकित्सालय हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास भिजवाया था। आहत को दिनांक 11/4/09 को मोटर सायकिल एक्सीडेंट में दाँहिने पैर पर चोट लगी थी और उसे पुलिस द्वारा तीन माह पश्चात् दिनांक

11/07/09 को परीक्षण हेतु अस्पताल लाया गया था।

- 7— आगे गवाह ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 14/07/09 को पुनः अस्पताल लाया गया था जिसकी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि सी0एच0सी0 आमला में एक्सरे की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः उसे जिला चिकित्सालय बैतूल भिजवाया गया था। इसके पश्चात् दिनांक 20/07/09 को आहत को पुलिस द्वारा सी0एच0सी0 आमला लाया गया था। दांहिने पैर का प्लास्टर निकालने के पश्चात् उसे पुनः एक्सरे हेतु जिला अस्पताल बैतूल भिजवाया गया था। उसकी रिपोर्ट प्र0पी0 05 है जिसके ए से ए, बी से बी, एवं सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह के द्वारा आहत के शरीर में पाई गई चोट को अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से बताया गया है और बचाव पक्ष के द्वारा उक्त चोट को प्रतिपरीक्षा में प्रश्नगत नहीं किया गया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आहत के शरीर में घटना दिनांक को जो चोट पाई गई थी वह एक्सीडेंट होने के कारण ही पाई गई थी।
- 8— न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय है कि क्या अभियुक्त ने वाहन मोटर साईकिल को उपेक्षा व लापरवाही से चलाकर आहत दिनेश उईके को घोर उपहित कारित की। अर्थात् यहां मुख्य रूप से विचारणीय है कि क्या अभियुक्त एक्सीडेंट के समय मोटर साईकिल को चला रहा था उसी की उपेक्षा तथा लापरवाही से दुर्घटना हुई।
- 9— अभियोजन साक्षी दीपक (अ०सा०२) एवं अभियोजन साक्षी संदीप (अ०सा०३) अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है। साथ ही फरियादी दिनेश का मुख्य परीक्षण किया गया है, किन्तु बचाव पक्ष को प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। फरियादी दिनेश आदेश पत्रिका दिनांक 23/02/16 को फरारी साक्ष्य पेश की गई है जिसके अनुसार अदम पता घोषित किया गया है जबकि फरियादी ही घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एवं सर्वेत्तम साक्ष्य होती है और उक्त गवाह की साक्ष्य ही न्यायालय में पेश नहीं की गई है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के द्वारा वाहन मोटर साईकिल को उपेक्षापूर्ण व उतावलेपन से चलाकर घटना कारित की गई, यह नहीं माना जा सकता।
- 10— अभियोजन साक्षी सूरत (अ०सा०—7) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि जप्ती पत्रक प्र0पी0 6 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है और गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 7 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है उसी प्रकार अभियोजन साक्षी प्रकाश (अ०सा०—6) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि जप्ती पत्रक प्र0पी0 6 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है और गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 7 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। यह गवाह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और घटना के फरियादी एवं अन्य स्वतंत्र साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में उक्त गवाहों के द्वारा दी गई जप्ती व गिरफ्तारी की साक्ष्य महत्वहीन हो जाती है।
- 11— अभियोजन साक्षी राजू साहू (अ०सा०—8) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसका राज इंजीनियरिंग वर्क्स शॉप के नाम से बोड़खी आमला में विगत् 15—16 वर्षों से वाहन रिपेरिंग की दुकान है। उसने दिनांक 3/8/09 को पुलिस थाना आमला के अपराध से संबंधित वाहन कं. एम०पी० 48 बी 8297 मोटर सायकिल का

मैकेनिकल मुलाहिजा किया जिसमें वाहन का ब्रेक, क्लच, लाईट, हार्न आदि सही होना पाया था। उसकी मैकेनिकल रिपोर्ट प्र0पी० 8 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। यह गवाह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और घटना के फरियादी एवं अन्य स्वतंत्र साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में उक्त गवाह के द्वारा दी गई साक्ष्य महत्वहीन हो जाती है।

12— अभियोजन साक्षी सत्यप्रकाश बाजपेयी (अ०सा0—5) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक को थाना प्रभारी द्वारा अप०कं० 290 / 09 की केश डायरी विवेचना हेतु सौंपे जाने पर उसने घटना स्थल पर जाने पर प्रार्थी दिनेश कुमार की निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्र०पी० 2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने उसी दिनांक को उन्हीं गवाहों के समक्ष आरोपी दिनेश को गवाहों के समक्ष गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 7 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रार्थी दिनेश कुमार गवाह संदीप के कथन उनक बताए अनुसार लेख किया था जिसमें उसने कुछ जोड़ा या छोड़ा नहीं था। उसने आर०बी०एस० कुशवाह के साथ लगभग 6 माह काम किया है वह उनकी हस्तिलिप एवं हस्ताक्षर से परिचित है। प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी विवेचना अधिकारी है। घटना का प्रत्यक्षदश्री साक्षी नहीं है। और प्रकरण में फरियादी दिनेश की साक्ष्य पेश नहीं की गई है। और अन्य स्वतंत्र गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह के द्वारा की गई कार्यवाही संदेहास्पद होकर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

13— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने वाहन कमांक एम.पी. 48 बी 8297 को उतावलेपन / उपेक्षापूर्वक ढंग से परिचालित करते हुये फरियादी / पीड़ित दिनेश को टक्कर मारते हुये घोर उपहित कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 1 का निराकरण ''अप्रमाणित'' रूप से किया जाता है।

# विचारणीय प्रश्न कं 2,3,4 का निराकरण

14— अभियोजन साक्षी सत्यप्रकाश बाजपेयी (अ०सा०—5) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी दिनेश के पास डायविंग लायसेंस एवं वाहन का बिमा न होने को कारण 3/181, 146/196 मो०व्ही०ए० का इजाफा किया था एवं पंजीकृत स्वामी मैकू को आरोपी बनाकर उसके विरूद्ध धारा 5/180 मो०यान अधिनियम लगाई गई थी। प्रकरण में फरियादी दिनेश की साक्ष्य पेश नहीं की गई एवं अन्य स्वतंत्र गवाहों की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि घटना दिनांक को अभियुक्त वाहन चला रहा था जिसके कारण दुघर्टना घटित हुई। जहां पर यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त घटना दिनांक को वाहन चला रहा था और वाहन चलाते समय अभियुक्त के पास वाहन का डायविंग लायसेंस और बीमा नहीं था। साथ ही पंजीकृत स्वामी के द्वारा बिना बीमा एवं बिना डायविंग लायसेंस के व्यक्ति को वाहन चलाया या चलवाया, यह नहीं माना जा सकता। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 2,3,4 का निराकरण

''अप्रमाणित'' रूप से किया जाता है।

15— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने वाहन क्रमांक एम.पी. 48 बी 8297 को उतावलेपन/उपेक्षापूर्वक ढंग से परिचालित करते हुये फरियादी/पीड़ित दिनेश को टक्कर मारते हुये घोर उपहित कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने वाहन को बिना वैध ड्रायविंग लायसेंस व बिना वैध बीमा के परिचालित किया। इस प्रकार अभियुक्त दिनेश भा0द0वि0 की धारा— 279, 338 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा— 3/181, 146/196 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने उक्त वाहन को ऐसे व्यक्ति को परिचालित करने के लिये दिया जिसके पास वैध ड्रायविंग लायसेंस नहीं था। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने उक्त वाहन को ऐसे व्यक्ति को परिचालित करने के लिये दिया जिसके पास बीमा नहीं था। इस प्रकार अभियुक्त मैकु को मोटर यान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

17— प्रकरण में आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते है। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

16— प्रकरण में जप्तशुदा मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 48 बी 8297 पूर्व से आवेदक / सुपुर्दार मैकु पिता गंभीर सिरशाम की सुपुर्दगी में है। उक्त वाहन के संबंध में किसी अन्य ने दावा नहीं किया है। अतः सुपुर्दनामा आदेश निरस्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0 (धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला बैतूल म0प्र0